रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2451] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 2451] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्रालच
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3045(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पष्चात् कि हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 332.228 कि.मी. से 347.457 कि.मी. तक के भूखण्ड (रोहतक जींद सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात् तथा ऐसी, और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 332.228 किलोमीटर से 347.457 किलोमीटर तक (रोहतक जींद खंण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

कम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम/ हदबस्त नं.	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		
				आयत संख्या	किला संख्या			कनाल	मरला	हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	रोहतक	1. महम	(1) लाखन माजरा/ 95	62//	12	निजी	कृषि	0	6	0.0152
				159//	15/2	निजी	कृषि	1	0	0.0506
					गाँव का कुल क्षेत्रफल			1	6	0.0658
			(2) चाँदी/93	182//	15/1	निजी	कृषि	0	2	0.0051
				206//	12/2/3	निजी	कृषि	1	13	0.0835
				249//	26	निजी	कृषि	0	15	0.0379
					927	पंचायत	असिंचित	0	4	0.0101
					गाँव का कुल क्षेत्रफल			2	14	0.1366
		2. रोहतक	(1) भगवती पुर/ 89	77//	8/3	निजी	कृषि	0	5	0.0126
				84//	5/3	निजी	कृषि	0	2	0.0051
					गाँव का कुल क्षेत्रफल			0	7	0.0177
			(2) टिटौली/ 88	95//	21/3	निजी	कृषि	1	18	0.0961
				96//	4/3	निजी	कृषि	0	3	0.0076
					गाँव का कुल क्षेत्रफल			2	1	0.1037
					कुल क्षेत्रफल			6	8	0.3238

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई–रोहतक/रोहतक–जींद/भू.अ./14–15/रोहतक]

माया प्रकाष, निदेषक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2014

S.O. 3045(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section of 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 on the stretch of land from Km. 332.228 to Km. 347.457 (Rohtak-Jind section) in Rohtak district in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Rohtak, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 332.228 to Km. 347.457 (Rohtak-Jind section) of the National Highway No. 71 in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of village and hadbast number	Survey number		Type of land	Nature of land	Area		
				Rectangle number	Field number			Kanal	Marla	Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	**Rohtak**	**1. Meham**	**(1) Lakhan Majra**	**62//**	12	Private	Irrigated	0	6	0.0152
			H.B.No 95	**159//**	15/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506
					Total of Village			**1**	**6**	**0.0658**
			(2) Chandi	**182//**	15/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051
			H. B. No. 93	**206//**	12/2/3	Private	Irrigated	1	13	0.0835
				249//	26	Private	Irrigated	0	15	0.0379
					927	Panchayat	Non-Irrigated	0	4	0.0101
					Total of Village			**2**	**14**	**0.1366**
		2. Rohtak	**(1) Bhagwatipur H. B. No. 89**	77//	8/3	Private	Irrigated	0	5	0.0126
				84//	5/3	Private	Irrigated	0	2	0.0051
					Total of Village			**0**	**7**	**0.0177**
			(2) Titoli H. B. No. 88	**95//**	21/3	Private	Irrigated	1	18	0.0961
				96//	4/3	Private	Irrigated	0	3	0.0076
					Total of Village			**2**	**1**	**0.1037**
					Grand Total			**6**	**8**	**0.3238**

[F. No. NHAI/PIU-Rohtak/Rohtak-Jind/LA/14-15/Rohtak]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.